मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक एफ-8/2009/ नियम/ चार भोपाल, दिनांक 25.05.2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय :- मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 .
संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 23 मार्च, 2009.

म0प्र0 शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-8/2009/ नियम/ चार दिनांक 28 फरवरी, 2009 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों के म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 में वेतन पुनरीक्षण के निर्देश दिए गए तथा इस विषयक समसंख्यक परिपत्र दिनांक 23 मार्च, 2009 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण जारी किया गया । म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम-2009 में संशोधन उपरांत तथा अन्य व्यवहारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुये इस विषय पर समग्र विचारोपरांत निम्नानुसार और स्थिति स्पष्ट की जाती है :-

क्र.	उठाये गए बिन्दु	स्पष्टीकरण
1.	नियम 3 "मौजूदा परिलब्धियों" के पैरा-(ख) (iii) में मूल वेतन तथा मंहगाई वेतन पर तत्समय देय मंहगाई भत्ता क्या 47 प्रतिशत तक गणना में लिया जा सकता है?	नहीं । नियम 3 "मौजूदा परिलब्धियों" के पैरा -(ख) (iii) मूल वेतन तथा मंहगाई वेतन पर 20 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया जायेगा । म0प्र0 वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के नियम-3 (ख) (iii) में वित्त विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ-8/2009/ नियम/ चार दिनांक 4 मई 2009 व्दारा आवश्यक् संशोधन किया गया है। वेतन नियतन पत्रक प्रपत्र-एक संलग्न है ।

2.	क्या कर्मचारी पदोन्नति/ कमोन्नति/समयमान वेतन/ वेतनमान के उन्नयन की तारीख से संशोधित वेतन ढांचे में वेतन निर्धारण का विकल्प चुन सकता है?	हॉ । नियम 5 के स्पष्टीकरण (1) के अनुसार मौजूदा वेतनमान बहाल रखने का विकल्प केवल एक मौजूदा वेतनमान के मामले में देय होगा । कर्मचारी नियम 6 के अन्तर्गत कार्यालय प्रमुख को विकल्प प्रस्तुत कर सकता है ।
3.	दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पश्चात् नियुक्त कर्मचारी का संशोधित वेतन ढांचे में वेतन निर्धारण किस प्रकार से किया जायेगा?	दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पश्चात् नियुक्त कर्मचारी का संशोधित वेतन ढांचे में वेतन निर्धारण नियम 3 एवं 4 के अन्तर्गत पहली अनुसूची "1" में उल्लेखित मौजूदा वेतनमान के तत्स्थानी संशोधित वेतन बेंड के न्यूनतम पर वेतन निर्धारण किया जायेगा तथा इसके साथ सादृश्य ग्रेड वेतन दिया जायेगा ।
4.	दिनांक 1-1-2006 से 28.02. 2009 के मध्य पदोन्नति/ कमोन्नति/समयमान वेतन/ वेतनमान के उन्नयन में मौजूदा वेतनमान से क्या आशय है?	म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियम-3 तथा 4 के संलग्न पहली अनुसूची "1" के कालम-2 में उल्लेखित मौजूदा वेतनमान से है।
5.	दिनांक 1 जनवरी 2006 को या इसके पश्चात्वर्ती अवधि में कमोन्नति, समयमान वेतनमान, वरिष्ठ वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान मिलने के फलस्वरूप वेतन निर्धारण किस प्रकार से किया जायेगा?	ऐसा कर्मचारी जिसे 1 जनवरी 2006 को या पश्चातवर्ती अवधि में कमोन्नति, समयमान वेतनमान, वरिष्ठ वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान मिलने पर पुनरीक्षित वेतन सरंचना में वेतन निर्धारण के लिये एक माह के भीतर विकल्प देने की पात्रता होगी । विकल्प वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 23 मार्च 2009 के परिशिष्ट-2 में कार्यालय प्रमुख को दिया जायेगा । शासकीय सेवक आगामी वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण कराने का विकल्प देता है, तो कमोन्नति, समयमान वेतनमान, वरिष्ठ वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान की तिथि पर 'वेतन बैंड में वेतन' अपरिवर्तित रहेगा, किन्तु उच्च ग्रेड का ग्रेड वेतन स्वीकृत किया जायेगा । आगामी वेतन वृद्धि की तिथि, अर्थात 1 जुलाई को वेतन का पुर्ननिर्धारण किया जायेगा । उक्त तिथि को उसे दो वेतन

		वृद्धि, एक नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि तथा दूसरी वेतन वृद्धि कमोन्नति, समयमान वेतनमान, वरिष्ठ वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान जैसी भी स्थिति हो स्वीकृत की जायेगी तथा वेतन वृद्धि की गणना पूर्व प्राप्त वेतन के आधार पर की जायेगी । उदाहरण के लिये समयमान वेतनमान की तारीख से पहले मूल वेतन 100/- रूपये (बैंड वेतन 90 रूपये+ ग्रेड वेतन 10 रूपये) है तो पहली वेतन वृद्धि की गणना 100/- रूपये पर की जायेगी, तथा दूसरी वेतन वृद्धि की राशि की गणना 93/- रूपये पर की जायेगी । उदाहरण कमांक-1 संलग्न है । ऐसे मामलों में जहॉ शासकीय सेवक कमोन्नति, समयमान वेतनमान, वरिष्ठ वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान की तिथि से ही वेतन निर्धारण करने का विकल्प देता है,ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण 'वेतन बैंड वेतन' पर 3 प्रतिशत वेतन वृद्धि जोडकर किया जायेगा । वेतन वृद्धि परिगणित करने हेतु ग्रेड वेतन को गणना में शामिल नहीं किया जायेगा । उदाहरण कमांक-2 संलग्न है । यदि कमोन्नति, समयमान वेतनमान, वरिष्ठ वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान के फलस्वरूप वेतन बैंड में भी परिवर्तन होता है और उक्त वेतन बैंड का न्यूनतम उपरोक्तानुसार परिगणित राशि से अधिक है तो वेतन उस वेतन बैंड के न्यूनतम पर नियत किया जायेगा । 'वेतन बैंड में वेतन' के अतिरिक्त ग्रेड वेतन भी देय होगा ।
6.	दिनांक 01 जनवरी 2006 को या उसके बाद में कर्मचारी की पदोन्नति पर वेतन निर्धारण किस प्रकार से किया जायेगा?	दिनांक 1 जनवरी 2006 को या उसके बाद में कर्मचारी की पदोन्नति पर वेतन निर्धारण म0प्र0वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के नियम-12 तथा इस संबंध में परिपत्र दिनांक 23 मार्च 2009 के पैरा-2 पुनरीक्षित वेतन

		संरचना में वेतन निर्धारण के लिये एक माह के भीतर विकल्प देने की पात्रता होगी । विकल्प वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 23 मार्च 2009 के परिशिष्ट-2 में कार्यालय प्रमुख को दिया जायेगा । ऐसे कर्मचारी का पदोन्नति पर वेतन निर्धारण विकल्प के अनुसार वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 23 मार्च 2009 के पैरा (अ) अथवा पैरा (ब) के अनुसार किया जायेगा । उदाहरण कमांक-3 तथा 4 संलग्न है ।
7.	क्या मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2009 कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से नियमित वेतनमान में वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा?	जी, हॉ ।
8.	जिस कर्मचारी की वेतन वृद्धि तारीख 2 जनवरी 2006 है तो क्या उसे मौजूदा वेतन में वेतन वृद्धि लाभ दिया जायेगा?	नहीं । जिस कर्मचारी की वेतन वृद्धि वास्तविक रूप से पहली तारीख पड़ती है, उसे ही मौजूदा वेतनमान में वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा । इस संबंध में वित्त विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 23 मार्च, 2009 में स्थिति स्पष्ट की गई है ।
9.	दिनांक 1 जनवरी 2006 के बाद किसी कर्मचारी को, परिवार नियोजन या शासन के किसी अन्य निर्देशों अन्तर्गत अग्रिम वेतनवृद्धि दी गई हो, तो संशोधित वेतन ढाचे में ऐसे कर्मचारी को अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ किस प्रकार दिया जाएगा ?	संशोधित वेतन ढ़ाचे में अग्रिम वेतन वृद्धि इन नियमों के नियम-8 अनुसार स्वीकृत की जायेगी । अग्रिम वेतन वृद्धि के कारण सामान्य वेतन वृद्धि की तिथि में परिवर्तन नहीं होगा ।
10	दिनांक 1 जनवरी 2006 के बाद कमोन्नति वेतनमान/समयमान वेतनमान/वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी वेतनमान मिल रहे कर्मचारी की पदोन्नति निम्न/ समरूप/उच्च पे-बेंड/वेतनमान में होती है तो	दिनांक 1 जनवरी 2006 के बाद कमोन्नति वेतनमान/समयमान वेतनमान/वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी वेतनमान मिल रहे कर्मचारी की पदोन्नति निम्न/ समरूप, वेतन बैंड वेतन /वेतनमान में होने पर कर्मचारी का वही वेतन तथा ग्रेड-पे मिलेगी जो वह पदोन्नति के पूर्व से प्राप्त कर

	कर्मचारी का वेतन निर्धारण ऐसी पदोन्नति पर किस प्रकार से किया जाएगा?	रहा है । कमोन्नति वेतनमान/समयमान वेतनमान /वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी वेतनमान मिलने पर उच्च वेतन बैंड वेतन तथा ग्रेड वेतन में परिवर्तन होने पर उसका वेतन निर्धारण कर्मचारी द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर कंडिका-5 के अनुसार किया जावेगा ।
11	तालिका कमांक-7 मौजूदा रुपये वेतनमान 4500-125-7000 की तालिका में अधिकतम वेतन 7000 के बाद 7500 तक दर्शाने का क्या उद्देश्य है?	मौजूदा वेतनमान रुपये 4500-125-7000 की संशोधित तालिका-7 संलग्न है ।
12	दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पश्चात् असाधारण अवकाश, निलंबनकाल, अकार्य दिवस (मृत दिवस) हड़ताल इत्यादि से वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?	म0प्र0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियम 9 तथा वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 23 मार्च, 2009 में संशोधित वेतन ढांचे में अगली वेतन वृद्धि की तारीख बाबत् निदेश हैं । इन निर्देशों के अनुसार संशोधित वेतन ढांचे में वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख एक समान (one uniform date) अर्थात् प्रत्येक वर्ष की एक जुलाई होगी तथा ऐसे शासकीय सेवक जिन्होंने संशोधित वेतन ढांचे में 1 जुलाई को 6 माह या अधिक अवधि की सेवा पूरी कर ली हो, को वेतन वृद्धि की पात्रता होगी । इस संबंध में स्थिति उदाहरण कमांक 5 तथा 6 में स्पष्ट की गई है ।
13	दिनांक 1 जनवरी, 2006 अथवा उसके पश्चात् वेतनमान का उन्नयन (Up - gradation) होने पर वेतन निर्धारण किस तरह से किया जायेगा ?	दिनांक 1 जनवरी, 2006 अथवा उसके पश्चात् वेतनमान का उन्नयन (Up - gradation) होने पर वेतन निर्धारण संशोधित वेतन ढांचे में "वेतन वैंड" में वेतन वही रहेगा जो उन्नयन (Up - gradation) के पूर्व में मिल रहा था तथा वेतन वैंड वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन मिलेगा ।

2- ऐसे शासकीय सेवक जिन्होंने म0प्र0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियम 6 के अंतर्गत 1 जनवरी, 2006 के पश्चात् संशोधित वेतन ढांचे में वेतन निर्धारण करने का विकल्प दिया है उन्हें इन निर्देशों के अंतर्गत पुनः विकल्प प्रस्तुत करने की पात्रता होगी तथा विकल्प की समय-सीमा इन निर्देशों के जारी होने की तिथि से एक माह बढ़ाई जाती है ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विजयलक्ष्मी बारस्कर)
उप सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग